Ret.

कार्यालय म0प्र0पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
भदभदा रोड–भोपाल

कमांक/ मप्रपुहका/स्था0–1/ 1916 /2017 भोपाल दिनांक 3/11/2017

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश माध्यम
अरेरा हिल्स
भोपाल

विज्ञप्ति

विज्ञापन का प्रकाशन का दिनांक एवं समाचार पत्र संख्या :– दैनिक हिन्दी समाचार पत्र संख्या –02 कमशः एक राज्य स्तरीय समस्त संस्करण एवं एक जिला स्तरीय, संभागीय संस्करण तथा रोजगार निर्माण आगामी संस्करण प्रकाशन का दिनांक 06 नवम्बर 2017।

—

मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल में विज्ञाप्ति संविदा उपयंत्री सिविल के लिए दिनांक 8 सितम्बर 2017 से दिनांक 25 सितम्बर 2017 तक प्राप्त आवेदन पत्रो की चयन प्रकिया अपरिहार्य कारणों से एतद द्वारा निरस्त की जाती है। नवीन चयन प्रकिया हेतु दिनांक 6 नवम्बर 2017 से दिनांक 20 नवम्बर 2017 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की विज्ञप्ति पृथक से प्रकाशित की जा रही है। सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि पूर्व मे प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य किये जाकर नवीन चयन प्रकिया हेतु पुनः आवेदन पत्र सभी को प्रस्तुत करना होगा। पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्र इस चयन प्रकिया में सम्मलित नहीं किये जावेगे।

2.XI.17

(संजय राणा)
अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम–भदभदा रोड भोपाल

Net.

कार्यालय म0प्र0पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
भदभदा रोड–भोपाल

कमांक/ मप्रपुहका/स्था0–1/ 1917 /2017 भोपाल दिनांक 3/11/2017

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश माध्यम
अरेरा हिल्स
भोपाल

विषयः– मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसरंचना विकास निगम लिमिटेड में संभावित रिक्त संविदा उपयंत्री (सिविल) पद पर संविदा नियुक्ति करनें हेतु विज्ञापन का प्रकाशन ।

—

विज्ञापन का प्रकाशन का दिनांक एवं समाचार पत्र संख्या :– दैनिक हिन्दी समाचार पत्र संख्या –02 कमशः एक राज्य स्तरीय समस्त संस्करण एवं एक जिला स्तरीय, संभागीय संस्करण तथा रोजगार निर्माण आगामी संस्करण प्रकाशन का दिनांक 06 नवम्बर 2017।

विज्ञापन प्रारूप

मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड भोपाल के अंतर्गत संभावित रिक्तियां 16 संविदा उपयंत्री सिविल के पदो के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 20 नवम्बर 2017 को सायंकाल 5 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। कार्पोरेशन संभाग के अंतर्गत संचालित 13 सभागों में आवश्यकतानुसार किसी भी संभाग में कार्य हेतु संविदा नियुक्ति की जा सकेगी। संचालित 13 परियोजना संभाग कमशः (1) भोपाल कमांक–1, (2) भोपाल कमांक–2, (3) भोपाल कमांक–3 (4) सागर (5) रीवा (6) जबलपुर कमांक–1 (7) जबलपुर कमांक–2 (8) बालाघाट (9) ग्वालियर कमांक–1 (10) ग्वालियर कमांक–2 (11) उज्जैन (12) इन्दौर संभाग क–1 (13) इन्दौर संभाग कमांक–2 के अंतर्गत 51 जिलों की पुलिस इकाईयॉ एवं 23 वि0स0बल वाहिनियॉ के अंतर्गत सिविल कार्यो के लिए इच्छुक अभ्यार्थियो के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है :–

स.क.	विज्ञाप्ति पद का नाम	संख्या	रोस्टर के अनुसार आरक्षित पद	योंग्यता
01	संविदा उपयंत्री (सिविल)	16	अनारक्षित – 08 अनु0 जाति – 02 अनु0 जन जाति–04 अ0पि0व0– 02	सिविल इंजीनियरिंग में डिग्रीधारी अथवा डिप्लोमाधारी। डिग्रीधारी को डिग्री के अंतिम वर्ष के कुल प्राप्तांक का 90% एवं डिप्लोमाधारी को अंतिम वर्ष के कुल प्राप्तांक का 70% मार्कस की गणना के साथ अनुभव एवं आटोकेट अथवा पोस्ट ग्रेज्युसन के लिए के लिए निधारित कमश :5 : 5 अंक एवं अनुभव के लिए 05 अंको सहित कुल 100 अंको की मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

नोटः– (1)भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओ के लिए निर्धारित आरक्षण म0प्र0शासन द्वारा निर्धारित क्षैतिज आरक्षण प्रणाली अनुसार दिया जावेगा एवं अनुपलब्धता पर क्षैतिज आरक्षण संवर्ग से पद भरे जावेगे।

(2) विज्ञापन की शर्ते, चयन नीति कार्पोरेशन की बेबसाईट **www.mpphc.net** पर देखा एवम् डाउनलोड किया जा सकता है।

3.11.17
(संजय राणा)
अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम–भदभदा रोड भोपाल

::संविदा उपयंत्री (सिविल) संविदा पद हेतु अर्हताऍं::

1. अनारक्षित एवं पिछडा वर्ग के सदस्य, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिये।
2. अनुसूचित जन जाति वर्ग के सदस्य सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा न्यूनतम 40% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिये।
3. अभ्यार्थियों को भवन निर्माण कार्य में अनुभव के लिए 01 अंक 01 वर्ष के मान से अधिकतम 05 अंक दिये जावेगे।
4. चयन समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, कार्य अनुभव एवं प्रवीण्यता परीक्षण में प्रात अंकों के आधार पर प्रवीण्यता सूची तैयार की जावेगी।
5. प्रवीण्यता सूची के क्रम में अभ्यार्थियों को कार्पोरेशन के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यो की पर्यवेक्षणीय आवश्यकता अनुसार मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलो में संचालित निर्माण कार्य स्थलों पर निश्चित अवधि के लिए पदस्थ किया जावेगा।
6. अभ्यार्थी द्वारा कार्पोरेशन के पक्ष में प्रथमतः 18 माह तक की संविदा कार्य करने की सहमति/शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर 18 माह के लिए प्रथम संविदा नियुक्ति प्रदान की जावेगी एवम् आवश्यकतानुसार संविदा अवधि में कार्य–व्यवहार एव दक्षता के आधार पर वृद्वि की जा सकेगी।
7. संविदा पारिश्रमिक के रूप में रू. 28000/–(अठाइस हजार) प्रतिमाह एकमुश्त भुगतान किया जावेगा। संविदा वेतन में वृद्वि समय–समय पर संभावित है। किन्तु संविदा वेतन में किसी प्रकार के वृद्धि की मॉग स्वीकार नहीं की जावेगी।
8. निर्माण कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए की जाने वाली यात्रा के लिए वास्तविक व्यय राशि की प्रतिपूर्ति एवं स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर मील भत्ता की पात्रता होगी।
9. संविदा उपयंत्री को सी0यू0जी0 योजानान्तर्गत एक सिम आवंटित की जावेगी एवम् इस योजना में निर्धारित न्यूनतम राशि का भुगतान कार्पोरेशन द्वारा किया जावेगा।
10. संविदा कार्य पर कम से कम 03 माह तक निरंतर कार्य करने के उपरांत कलेण्डर वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश एवम् 03 दिवस एच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
11. संविदा उपयंत्री (सिविल) को संविदा अवधि मे शासन के कर्मचारियों की भाति अनुशासित रहकर पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से कार्य करना होगा एवं म.प्र.सि.से.आचरण नियमों एवं कार्पोरेशन मैनुअल मे वर्णित आचरणो का पालन करना वाध्यकारी होगा किन्तु स्थाई नियोजन की पात्रता नही होगी ओर न ही ऐसी मॉग वैधानिक रूप से स्वीकार्य योग्य होगी।
12. संविदा उपयंत्री को किसी प्रकार के अग्रिम की पात्रता नही होगी ।
13. अभ्यार्थी को तोतलापन नहीं होना चाहिए। आवाज सुस्पष्ट होनी चाहिए।
14. नियमित पदस्थापना का दावा मान्य नही होगा।
15. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता के दस्तावेज स्व–प्रमाणित एवं न्योक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
16. अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों को निवास प्रमाण पत्र में अंकित पते के आधार पर साक्षात्कार के लिए उपस्थिति, के लिए नजदीकी मार्ग का न्यूनतम किराया टिकिट प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा।
17. आवेदन पत्र में जाति का उल्लेख निश्चित रूप से किया जावे।
18. उपयंत्री (सिविल) के अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयुसीमा निम्नानुसार है :–
    पुरूष आवेदक अनारक्षित – न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष ।
    महिला आवेदक अनारक्षित – न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष ।
    पुरूष आवेदक अनुसूचित जाति/ जन जाति न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष ।
    महिला आवेदक अनुसूचित जाति/ जन जाति न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष।
    विधवा,परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला अनुसूचित जन जाति के लिए अधिकतम 48 वर्ष ।
19. भूतपूर्व सैनिकों को म0प्र0 शासन के नियमों अनुसार आवश्यक छूट प्रदान की जावेगी।

संलग्न – आवेदन पत्र प्रारूप।

—

आवेदन–पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
भदभदा रोड भोपाल

स्वयं द्वारा सत्यापित हाल का फोटोग्राफ चस्पा किया जावे

विषयः– मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन मे संविदा उपयंत्री (सिविल) की संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ।

1. अ. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
   ब. अंग्रेजी (कैपिटल लेटर में) : ....

2. लिंग– पुरूष/महिला : ....

3. पिता/पति का नाम उप नाम सहित :–..

4. अ. निवास का स्थाई पता :..
   (पिन कोड सहित) :..
   ब. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :..
   (पिन कोड अवश्य अंकित किया जावे)
   स. मोबाईल नम्बर/लैण्ड लाईन सम्पर्क सूत्र :..

5. जन्म तिथि : / /

   (10+2) परीक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर) प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे ।

6. जाति का उल्लेख कर, जाति प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति संलग्न की जावे।

7. दिनांक 31.10.2017 को आयु : वर्ष माह दिन

8. म.प्र.शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जन जाति का सदस्यो होने का जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की जावे।
9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है । पंजीयन नम्बर अंकित किया जावे।
   पंजीयन कमांक ....पंजीयन दिनांक / /
   रोजगार कार्यालय का नाम ....जिला.............................
   वैद्यता दिनांक / /
10. शैक्षणिक /व्यावसायिक योग्यता :–

01	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि0वि0 का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांको का प्रतिशत
01	02	03	04	05	06

कमशः.............2

11. न्युक्ति.कर्ता द्वारा जारी कार्य अनुभव का विवरण –

क्रमांक	कार्य का प्रकार	संस्था का नाम व पता	अवधि	
			कब से	कब तक

12. संलग्नक/प्रमाण पत्रों की सूची
1.
2.
3.

नोटः– निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न किया गया आवेदन पत्र अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। विज्ञापन में अंकित अंतिम दिनांक तक आवेदन पत्र कार्यालय में स्वयं अथवा डाक द्वारा के जमा/प्राप्त होना चाहिए। नियत दिनांक के बाद कोरियर अथवा पोस्ट आफिस द्वारा विलंब से प्रस्तुत आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

//घोषणा पत्र//

1– मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, पूर्णतः सत्य है एवं आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता रखता/रखती हूँ । जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।
2– मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरी संविदा नियुक्ति पर विचार किया जाता है तो मै नियुक्ति दिनांक से निर्धारित अवधि तक संविदा पद पर कार्य करने का वचन देता/देती हूँ ।
3– मै घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरी संविदा नियुक्ति पर विचार किया जाता मैं मध्यप्रदेश में कहीं भी पदस्थ रहकर कार्य करनें के लिए तैयार हूँ।

दिनांक : / / 2017

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर
पूरा नाम/पिता का नाम

पूर्ण पता :–

::संविदा उपयंत्री (सिविल) संविदा नीति::

(1) निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के प्रत्येक कालम स्पष्ट जानकारी सहित पूर्ति किये गये आवेदन पत्र ही मान्य कियें जावेगें। किसी भी प्रभार की त्रुटि अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा ।

(2) सिविल इंजीनरिंग में डिग्रीधारी अभ्यार्थी को डिग्री के समस्त सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत पर पर समग्र अंकों का 90 प्रतिशत प्रवीण्यता सूची के लिए गणना में लिया जावेगा।

(3) सिविल इंजीरिंग में डिप्लोमाधारी अभ्यार्थी को डिप्लोमा के समस्त सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत पर पर समग्र अंकों का 70 प्रतिशत प्रवीण्यता सूची के लिए गणना में लिया जावेगा।

(4) पोस्ट ग्रेज्युट डिग्री अथवा ऑटोकेड सर्टीफिकेट परीक्षा की प्रमाणित अंकसूची एवं प्रभाण पत्र के लिए 05 अंक निर्धारित है। ऑटोकेड प्रमाण पत्र का सत्यापन कराये जाने पर यदि फर्जी पाया जाता है तो अभ्यार्थिता निरस्त मानी जावेगी एवं फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विधिसंगत कार्यवाही पृथक से की जावेगी।

(5) अभ्यार्थियों को भवन निर्माण कार्य में अनुभव के लिए 01 अंक 01 वर्ष के मान से अधिकतम 05 अंक दिये जावेगे।